



Goods & Services Tax (GST) वस्तु एवं सेवा कर

- Indirect Tax / अप्रत्यक्ष कर
- GST Bill = 122वाँ संशोधित बिल
- GST Act = 101वाँ GST Act
- 1 July, 2017 = GST लागू कर दिया
- कमेटी = विजय केलकर (2000 में)

GST परिषद

- (1) Art. No - 279(A)
- (2) अध्यक्ष = वित्त मंत्री
- (3) कुल सदस्य = 33
- (4) कुल दर = 4 (5%, 12%, 18%, 28%)

(5) कुछ वस्तुएँ एवं सेवाएँ ऐसी हैं जहाँ 0% GST है:-

शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, जीवन की आवश्यक वस्तुएँ (बिना पैकेट वाली)

(6) कुछ वस्तुएँ एवं सेवाएँ ऐसी हैं, जिन्हें अभी GST से बाहर रखा गया है -

पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, विद्युत

(7) Art. No- 366 (12A) [GST की परिभाषा] :- GST एक अपत्य कर है जो सभी वस्तु एवं सेवाओं पर लगेगा केवल एल्कोहल/शराब को छोड़कर (मानव उपभोग वाली)



- GST को लागू करने वाला पहला देश = फ्रांस (1954 में)
- GST का मॉडल = दोहरा (यह कनाडा से लिया है)
- GST लागू के लिए तरीका सुझा देने वाला पहला राज्य = असम
- GST विधेयक को पास करने वाला पहला राज्य = तेलंगाना
- GST लागू करने वाला अन्तिम राज्य = जम्मू एवं कश्मीर (J&K)

गरीबी और बेरोजगारी (Poverty & Unemployment)

गरीबी : ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति दैनिक जीवन की ^{मूलभूत} आवश्यकताओं को पूरा न कर पाये।
(रोटी, कपडा और मकान)

यह दो प्रकार की हैं :

- (1) निरपेक्ष गरीबी (Absolute Poverty) = मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव।
- (2) सापेक्ष गरीबी (Relative Poverty) = तुलना के कारण गरीबी।

→ सरकार निरपेक्ष गरीबी को दूर करने का प्रयास करती है।

→ गरीबी के मापन सरकार गरीबी रेखा का उपयोग करती है।

गरीबी रेखा :- ऐसी काल्पनिक रेखा जो गरीब व बिना गरीब में अंतर स्पष्ट करे।

हेड काउंट अनुपात
(Head Count Ratio)
(MCR) :- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को MCR कहते हैं।



→ भारत में गरीबी का मापन नीति आयोग द्वारा किया जाता है।



KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

THANKS FOR WATCHING

